

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी
पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 84 / 2024
 दायर दिनांक :- 14.05.2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024 / 160
 निर्णय दिनांक :- 02.06.2025

प्रार्थी
 उरजाराम पुत्र मगाराम
 जाति जाट निवासी शैतानसिंहनगर
 तहसील व जिला फलोदी

बनाम

अप्रार्थीगण

01. राज्य सरकार जरिये
श्रीमान तहसीलदार, घंटियाली
02. पुनाराम पुत्र रिडमलराम
03. मनोहरराम पुत्र रिडमलराम
04. राजुराम पुत्र रिडमलराम
05. मुली पत्नि चुतराराम
06. सन्तू पत्नि किशनाराम
07. किशनाराम पुत्र मगाराम
जाति जाट नि. शैतानसिंहनगर
तहसील व जिला फलोदी
08. चन्द्रकंवर पुत्री रूपसिंह
09. जेटूसिंह पुत्र खेतसिंह
10. जितेन्द्रकंवर पुत्री चैनसिंह
12. देवेन्द्रसिंह पुत्र चैनसिंह
13. नारायणसिंह पुत्र खेतसिंह
14. पूर्णाकंवर पुत्री चैनसिंह
15. पुष्पाकंवर पुत्री रूपसिंह
16. पुष्पाकंवर पत्नि चैनसिंह
17. भुवनेश्वरीकंवर पुत्री रूपसिंह
18. मनोहरकंवर पुत्री रूपसिंह
19. रायपालसिंह पुत्र रूपसिंह
20. सुगनकंवर पत्नि रूपसिंह
21. जेटूसिंह पुत्र स्वरूपसिंह
22. हरीसिंह पुत्र स्वरूपसिंह
23. गंगाकंवर पत्नि हुकमसिंह



A
 सहायक कलेक्टर
 बाप (फलोदी)

24. हुकमसिंह पुत्र भंवरसिंह
25. आसूसिंह पुत्र भंवरसिंह
जाति राजपूत नि. सुल्ताननगर
तहसील बाप जिला फलोदी
26. दलपतसिंह पुत्र गुलाबसिंह
27. भोमसिंह पुत्र गुलाबसिंह
28. हनुमानसिंह पुत्र गुलाबसिंह
जाति रावणा राजपूत
निवासी ओसिया तह. ओसिया
जिला जोधपुर ग्रामीण
29. गंगाराम पुत्र सुरजाराम
30. देवाराम पुत्र सुरजाराम
जाति जाट नि. भीकमकोर
तह. ओसिया जिला जोधपुर
31. गंगाराम पुत्र कोलाराम
32. धरमाराम पुत्र कोलाराम
जाति जाट नि. नाथडाऊ
तह. शेरगढ़ जिला जोधपुर
33. अखिलजालान पुत्र कमलकुमार
जाति अग्रवाल महाजन
नि. सीकर तह. जिला सीकर



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

- उपस्थित :-
1. श्री राजेन्द्रसिंह सौलकी अधिवक्ता प्रार्थी
 2. श्री मोहम्मद रफीक अधिवक्ता अ. सं. 2 ता 7
 3. पैरोकार सरकार तहसीलदार, बाप

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 302/41 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, अप्रार्थी सं. 2 की खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 302/14 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 की खातेदारी अधिकारों की संयुक्त भूमि

★ 02/01/25

खसरा नम्बर 302/46 रकबा 4.0469 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 5 की खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 302/45 रकबा 4.0469 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 6 की खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 302/25 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 7 की खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 302/4 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 8 ता 20 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 302/11 रकबा 12.1406 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 21 व 22 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 302 रकबा 19.9914 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/38 रकबा 21.6021 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 23 व 24 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 302/52 रकबा 9.5991 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 25 की खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 302/42 रकबा 9.5991 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 26 ता 28 की खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 302/65 रकबा 16.1874 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 29 ता 30 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की भूमि 302/5 रकबा 16.1874 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 31 ता 32 खसरा नम्बर 302/12 रकबा 12.5614 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 33 की खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 302/27 रकबा 22.3953 हैक्टेयर मौजा सुल्ताननगर पटवार क्षेत्र जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस सलंगन पेश है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 302/41 रकबा 8.0937 हैक्टेयर भूमि पर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कब्जा व काश्त लगाता आ रहा है और प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेता आ रहा है। प्रार्थी ने उक्त भूमि को लेकर कभी भी बंटवाड़ा नहीं किया है और न ही प्रार्थी ने तरमीम बाबत किसी प्रकार की कोई सहमति दी है लेकिन उक्त भूमि के मूल खातेदारों के द्वारा अलग-अलग समय पर अलग-अलग बैचान करने से तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 2 ता 33 के खाते राजस्व अभिलेख में अलग-अलग दर्ज कर दिये लेकिन नक्शा लट्ठा में उक्त भूमि सामलाती ही दर्ज रही। वर्तमान में सेग्रिगेशन योजना के तहत पटवारी हल्का ने सरासर गलत तरीके से एवं बिना किसी विधिक आदेश के प्रार्थी को सूचित किये बगैर ही मौका देखे बिना ही अपने ऑफिस में बैठे-बैठे प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 2 ता 33 की कब्जा काश्त की खातेदारी की भूमि ग्राम सुल्ताननगर पटवार हल्का जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 302/41 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/14 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/46 रकबा 4.0469 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/45 रकबा 4.0469 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/25 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/4 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/11 रकबा 12.1406 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302 रकबा 19.9914 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/38 रकबा 21.6021 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/52 रकबा 9.5991 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/42 रकबा 9.5991 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/65 रकबा 16.1874 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/5 रकबा 16.1874 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/12 रकबा 12.5614 हैक्टेयर, खसरा नम्बर



जिला कलेक्टर
बाप (फलोदी)

287/6 रकबा 28.9754 तथा खसरा नम्बर 302/27 रकबा 22.3953 हैक्टेयर की नक्शा ट्रेस में तरमीम प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 2 ता 33 के कब्जा काश्त के विपरीत कर दी। जबकि प्रार्थी का मौके पर कब्जा व काश्त संलग्न नजरी नक्शा एवं प्रार्थी के विक्रय पत्र में दर्शाये पडौस अनुसार चला आ रहा है। वर्तमान में पटवारी हल्का द्वारा उक्त तरमीम बिना किसी विधिक आदेश के प्रार्थी के कब्जा व काश्त के विपरीत की गई है। इसलिये ग्राम सुल्ताननगर पटवार हल्का जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 302/41 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/14 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/46 रकबा 4.0469 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/45 रकबा 4.0469 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/25 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/4 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/11 रकबा 12.1406 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302 रकबा 19.9914 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/38 रकबा 21.6021 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/52 रकबा 9.5991 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/42 रकबा 9.5991 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/65 रकबा 16.1874 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/5 रकबा 16.1874 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/12 रकबा 12.5614 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 287/6 रकबा 28.9754 तथा खसरा नम्बर 302/27 रकबा 22.3953 हैक्टेयर भूमि के नक्शा लट्ठा में की गई विधि विरुद्ध तरीके से प्रार्थी के कब्जा व काश्त के विपरीत की गई तरमीम को निरस्त करवा कर प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम करवाने का अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है। नजरी नक्शा प्रार्थना के साथ संलग्न पेश किया जा रहा है जिसे प्रार्थना पत्र का अभिन्न भाग माना व समझा जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 7 की और से अधिवक्ता मोहम्मद रफीक ने वकालतनामा व इकबालिया जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 8 ता 33 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब में बताया कि ग्राम सुल्ताननगर पटवार हल्का जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 302/41 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/14 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/46 रकबा 4.0469 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/45 रकबा 4.0469 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/25 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/4 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/11 रकबा 12.1406 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302 रकबा 19.9914 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/38 रकबा 21.6021 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/52 रकबा 9.5991 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/42 रकबा 9.5991 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/65 रकबा 16.1874 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/5 रकबा 16.1874 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/12 रकबा 12.5614 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 287/6 रकबा 28.9754 तथा खसरा नम्बर 302/27 रकबा 22.3953 हैक्टेयर भूमि के नक्शा लट्ठा में की गई विधि विरुद्ध तरीके से प्रार्थी के कब्जा व काश्त के विपरीत की गई तरमीम को निरस्त करवा कर प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम करवाने का अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है। नजरी नक्शा प्रार्थना के साथ संलग्न पेश किया जा रहा है जिसे प्रार्थना पत्र का अभिन्न भाग माना व समझा जावे।

बाप (फलोदी)


हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/5 रकबा 16.1874 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/12 रकबा 12.5614 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 287/6 रकबा 28.9754 तथा खसरा नम्बर 302/27 रकबा 22.3953 हैक्टेयर भूमि के खातेदारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर वर्तमान तरमीम को दुरुस्त किया जाना उचित है। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम सुल्ताननगर पटवार हल्का जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 302/41 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/14 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/46 रकबा 4.0469 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/45 रकबा 4.0469 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/25 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/4 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/11 रकबा 12.1406 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302 रकबा 19.9914 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/38 रकबा 21.6021 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/52 रकबा 9.5991 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/42 रकबा 9.5991 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/65 रकबा 16.1874 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/5 रकबा 16.1874 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/12 रकबा 12.5614 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 287/6 रकबा 28.9754 तथा खसरा नम्बर 302/27 रकबा 22.3953 हैक्टेयर भूमि की तरमीम खातेदारों के कब्जा काशत के भिन्न है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट एवं तहसीलदार बाप के जवाब इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में कब्जा काशत के विपरित की गई है जिसे दुरुस्त किया जाना उचित है। अप्रार्थी संख्या 2 ता 7 ने इकबालिया जवाब पेश कर कथन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरुस्त की जाती है तो किसी प्रकार कोई उजर एतराज नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान की तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार बाप के जवाब, पटवारी हल्का जोड़ एवं भूअ.निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किया जाना उचित समझते हैं।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम सुल्ताननगर पटवार हल्का जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 302/38, 302/52, 302/42, 302/12, 302/5, 302/26, 302/2, 302/18 का पटवारी हल्का एवं भूअ.निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार एकीकरण किया जावे एवं खसरा नम्बर 302/11 रकबा 12.1406 हैक्टेयर भूमि


(फलोदी)

की तरमीम पटवारी हल्का जोड़ एवं भू.अ.निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे नक्शा अनुसार अलग-अलग खाते कायम किये जावे व खसरा नम्बर 302/41 रकबा 8.1867 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/14 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/46 रकबा 4.1486 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/45 रकबा 4.0469 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/25 रकबा 8.1867 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 302/4 रकबा 8.0937 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त की जाकर पटवारी हल्का जोड़ एवं भू.अ.निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते हैं। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्जे नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर (सुबानाम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर एवं
बाप (फ़लोदी)
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फ़लोदी)